न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 93 / 2025

श्री प्रहलाद पुत्र ग्यारसी लाल मीणा निवासी यशोदानन्दनपुरा पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज0 --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11.11.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

जशोदानंदनपुरा में स्थित चारागाह भूमि पर श्री रामवतार मीना नायब तहसीलदार दूनी द्वारा अवैध रूप से खसरा न 344 गेर मुमकिन रास्ते के पूर्व स्थित मुहाने पर सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सार्वजनिक तालाब को अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा हैं जो भी उसकी शिकायत करता है उनके कई कार्यो को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए टालमटोल करवाने का प्रयास अपने अधीनस्थ लोगों से करवाता हैं। महोदय सम्पूर्ण चारागाह भूमि का सीमांकन किया जाकर कब्जा मुक्त करावे जिससे सरकारी भूमि पर कोई कब्जा ना कर पायें।

मेरे प्रश्न निम्नानुसार हैं जो धारा 2 (च) की परिसीमा को पूरी करते हैं-

1 उक्त शिकायती पत्र पर कोई कमेटी जांच हेतु गठित की गई या नहीं।

2 अगर कमेटी गठित की गई तो अब तक जांच में कोई तथ्य आये या नहीं ।

3 कोई जांच अब तक की गई हो तो उक्त जांच संबंधित फाइल की फोटो प्रतिलिपि संबधित प्राधिकारियों की नोटिंग सहित प्रदान करें ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को पत्र कमांक 1967 दिनांक 9.10.2025, 2060 दिंनाक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक 2188 दिनांक 27.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 2187 दिनांक 27.10.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

747